

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर - राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 213/18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019

निर्णय दिनांक : 18.03.2019

राजस्थान सरकार

बनाम

विनोद कुमार पुत्र मुन्नालाल

जाति नायक नि0 पांचवा

—: उनवान :-


पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विनोद कुमार पुत्र मुन्नालाल जाति नायक निवासी पांचवा नें ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 284 कुल रकबा 10.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.0112 हैक्टेर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में कच्चा बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति अप्रार्थी के घर पर चस्पा की गयी। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि अप्रार्थी ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।


अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 284 कुल रकबा 10.57 हैक्टेयर गै.मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0112 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर

अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.056 का पच्चास गुणा से राशि 3/-  
अक्षरे तीन रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली  
हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा  
सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें। आरोपित शास्ति  
की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ  
जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।  
निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(महादेवी प्रसाद शर्मा)  
तहसीलदार कुचामन सिटी  
जिला नागौर  
जिला नागौर -राज0

माँग कायमी रा.ले.स.-4  
क्रि.पृष्ठ संख्या 22  
वर्ष 2018-19  
रा.जुर्माना \_\_\_\_\_  
क.निलामी \_\_\_\_\_  
गोचर जुर्माना 03  
प्रा.पैदावार \_\_\_\_\_

  
तराले कुचामन सिटी